

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक: ए.टी.सी / 2007 / 363

दिनांक 24.5.07

समस्त संयुक्त निदेशक(जोन)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त औषधी नियंत्रक अधिकारी
समस्त सहायक औषधी नियंत्रक
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी(सा.स्वा.केन्द्र)
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी(प्रा.स्वा.केन्द्र)

विषय:- सिगरेट और अन्य तम्बाकू अधिनियम, 2003 के उल्लंघन से प्राप्त दण्ड राशि वसूलने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू अधिनियम, 2003 की राज्य में प्रभावी क्रियान्विती हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग द्वारा दिनांक 19.11.04 को जारी अधिसूचना के द्वारा आपको अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 4 या धारा 6 के अधीन किये गये ऐसे अपराध का शमन करने के शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जिसमें दण्ड से प्राप्त राशि चालान के द्वारा राजकोष के आय मद में जमा कराई जानी है।

अतः दण्डस्वरूप आय को विभाग के निम्न आय मद में राजकोष में जमा करवाये। की गई कार्यवाही से निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से अवगत कराये।

आय मद :-

- 0210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 04 - लोक स्वास्थ्य
- 800 - अन्य प्राप्तियाँ
- (02) - विविध प्राप्तियाँ

Devi
अति. निदेशक(चि.प्र.) एवं
नोडल अधिकारी (एटीसी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ए.टी.सी / 2007 /

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक(एड्स/चि.प्र.)/जन. स्वा./आई.ई.सी./आर.सी.एच. निदेशालय मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय मुख्यालय।
6. कार्यालय प्रति।

अति. निदेशक(चि.प्र.) एवं
नोडल अधिकारी (एटीसी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।